Vishal Pandey ADVOCATE

B.com, LL.B.(Hons), LL.M.

OFF. 24, SHRI NAGAR (MAIN) INDORE-452001 MAIL ID: lawmagics@gmail.com

vishalpandeyadv003@gmail.com

POWERED BY LAWMAGIC ASSOCIATES

Ref no .: - LK/CN/JUN24/07

समझौता आमन्त्रण अन्तर्गत धारा 62, आर्बिट्रेशन एण्ड कन्सिलिएशन एक्ट,1996 रजि.पो.द्वारा

MR./MS.BHOPAL CHEMICALS

-R/O-27 1, BEHIND BIRJISIYA MASJID, ROSY LAUNDRY, ITWARA BHOPAL, BHOPAL, 462001-MAILID-j. ansari 099@gmail.com-MOB-9827563099

महोदय,

मेरे पक्षकार **LENDINGKART FINANCE LIMITED** ऑफिस; Lendingkart Finance Limited, Innov8 , 402, 4th Floor, A wingX, Times Square Building, Andheri Kurla Road, Gamdevi, Andheri(East), Mumbai - 400059, के द्वारा प्रदत्त जानकारी, माहिती एवं निर्देशानुंसार आपको निम्नानुसार सूचित किया जाता हैं कि:-

1. यह कि, आपने हमारे पक्षकार के समक्ष मय दस्तावेज एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत कर ऋण सुविधा के रुप मे एक बिजनेस लोन, लेन्डिंग कार्ट फायनेन्स लि. बतौर लेन्डर/को–लेन्डर/सर्विस प्रोवायडर के मार्फत ABFL से प्राप्त किया है, उक्त लोन, लोन क्रमांक LNW-108222-232028526 पर इस शर्त पर प्रदान किया गया कि आप उसके द्वारा उपयोग / उपभोग की गई राशि का पुनर्भुगतान नियमानुसार करेंगें।

2.यह कि,उक्त बिजनेस लोन राशि रूपये **588000** / – का आपने इस शर्त पर प्राप्त किया था, कि उसके बाबद बकाया राशि आपके द्वारा नियत समयावधि में मय ब्याज के अदायगी हमारी संस्था को करेंगें, परन्तु आपके द्वारा नियमानुसार नियमित किश्त राशि की अदायगी नही की जा रही होकर आवेदन की शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया है।

3.यह कि, मेरे पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा लगातार आपसे व्यक्तिगत रूप से, दूरभाष पर तथा पत्राचार द्वारा सम्पर्क कर, बकाया राशि के भुगतान एवं आपके उक्त बिजनेस लोन खाते को नियमित करने हेतू पर्याप्त समय एवं अवसर दिये जाने के बाद भी आपके द्वारा उक्त खाते में बकाया राशि का भुगतान नही किया गया होकर, आपकी ओर उक्त बिजनेस लोन बकाया राशि के अलावा अन्य व्यय, लेट-फी, ब्याज एवं दण्ड ब्याज की राशि का कुल रुपया 364753 / - नोटिस दिनांक तक बकाया है।

4.यह कि, उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु मेरे पक्षकार संस्था/कंम्पनी आपके विरुध्द विधिवत दिवानी/फौजदारी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं, परन्तु न्याय हित मे मेरे पक्षकार द्वारा किसी भी कठोर कार्यवाही को प्रारम्भ करने के पूर्व मेरे पक्षकार **ARBITRATION &** CONCILIATION ACT 1996 की धारा 62 के अन्तर्गत समझौता प्रक्रिया आयोजित कर रहे हैं जिसमे की श्री RAJENDRA MAITHIL एडवोकेट को समझौता अधिकारी के रुप मे मेरे पक्षकार द्वारा नियुक्त किया गया है। एवं उक्त प्रक्रिया के माध्यम से आपको आमंत्रित कर उपरोक्त बिजनेस लोन खाते को नियमित / समाप्त करने हेतु एक सुअवसर प्रदान किया जा रहा है।

5.यह कि, आप यदि किसी अनावश्यक कानूनी कार्यवाही को टालना चाहते है तो मेरे पक्षकार द्वारा आयोजित समझौता प्रक्रिया मे भाग लेकर प्रकरण का समझौते के माध्यम से अपना पक्ष रख प्रकरण का सरल निराकरण कर सकते है।

यदि आप प्रकरण का समझौते के माध्यम से निराकरण करने के इच्छुक हैं तो दिनांक 27.06.2024 को श्री RAJENDRA MAITHIL एडवोकेट को समझौता अधिकारी **(समझौता केम्प) के समक्ष पताः—G.K.Shrivastava Hall, Swami Vivekanand Bhawan,** District & Sessions Court, Bhopal- 462004 पर समय प्रात:11:00 बजे से सायं 4:00 के मध्य उपस्थित होकर अपना पक्ष रख प्रकरण का सरल निराकरण कर सकते है।

आपकी अनुपस्थिति की दशा मे यह समझा जावेगा कि आप प्रकरण का समझौते के माध्यम से निराकरण नही चाहते है। जिस हेतु मेरे पक्षकार को आपके विरुध्द विधिवत दिवानी / फौजदारी कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होना पडेगा जिसमे होने वाले समस्त हर्जे एवं खर्चे एवं नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी।

रथान:–इन्दौर दिनांक:-18.06.2024 विशाल पाण्डे एडवोकेट

नोट:-

1. उक्त ऋण या बकाया राशि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी या भुगतान के सम्बन्ध मे आप मेरे पक्षकार के मैनेजर श्री AKIL CHAUHAN से मो.नं 9321672032 पर संस्था के कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर सकते हैं।

2. यदि आपके द्वारा नियत बकाया राशि जमा कर दी गई है, तो कृपया इस सूचना पत्र प्राप्ति के बाद अविलम्ब मेरे पक्षकार को जाहिर करें।

सचनार्थ:-

-MR./MS.JAVED ANSARI-R/O-HOUSE NO 26 ROZY LAUNDRY PAYGA ROAD ITWARA HUZUR BHOPAL,BHOPAL,462001-MAILIDj.ansari099@gmail.com-MOB-9827563099